सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 4, गुरुवार, शाके 1939–मई 25, 2017 Jyaistha 4, Thursday, Saka 1939-May 25, 2017	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2017

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 29–क के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–

(1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) ये राज पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावित होंगे।

2. विनियम 22 का संशोधन :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम सं. 22 के उपविनियम (2) (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :–

(क) तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर के न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि 6000/– रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/– रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

(ख) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण 9000/– रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/– रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

(ग) जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय 13500/- रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/- रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

(घ) उच्च न्यायालय 16500/- रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 2000/- रुपये प्रति प्रकरण।

प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति 500/- रुपये व्यय प्रति प्रकरण के स्थान पर रुपये 1000/- प्रति प्रकरण प्रतिस्थापित की जाएगी।

द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

''परन्तु ये भी कि प्रकरणों के अन्तिम विनिश्चय से पूर्व प्रत्याहरण / दोषी होने का अभिवचन करने के आधार पर निर्णय होने पर, उपखण्ड (क) से (घ) में विहित फीस की 1/2 राशि संदत्त की जाएगी।''

विनियम 37 का संशोधन :- इन विनियमों के विनियम 37 में विद्यमान अभिव्यक्ति रुपये 500/- के स्थान पर रुपये 1000/- प्रतिस्थापित की जाएगी।

आज्ञा से

एस.के. जैन,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

❖ ❖ ❖